संख्या-152/2024/2589/2024-002-8बी-2021-27-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2024

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-4213/03-72सी.ए./2100 न.रा.नल.नि.परि./नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 26.09.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) की कुल संशोधित/पुनरीक्षित लागत रू0 86508.55 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान **सं0-94** के लेखाशीर्षक 4702-102-03-0323-24 ''नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित)'' (सामान्य) के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 21044.24 लाख में से **रू0 9207.71 लाख** (रूपये बानबे करोड़ सात लाख इकहत्तर हजार मात्र) एवं अनुदान **सं0-83** के लेखाशीर्षक 4702-789-03-0301-24 ''नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित)'' (विशेष घटक) के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 7512.05 लाख में से धनराशि **रू0 3600.15 लाख** (रूपये छत्तीस करोड़ पन्द्रह हजार मात्र), इस प्रकार छठी किश्त के रूप में कुल धनराशि **रू0 12807.86 लाख** (रूपये एक अरब अट्ठाईस करोड़ सात लाख छियासी हजार मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-05/2023/83/003-8बी-21-27-10, दिनांक 03.02.2023 एवं शासनादेश संख्या-40/2024/631/2024-8बी-21-27-10, दिनांक 06.03.2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों /प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 92,07,71,000 (रुपये बानबे करोड़ सात लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020323 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 36,00,15,000 (रुपये छत्तीस करोड़ पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4702007890301 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-152/2024/2589(1)/2024-002-8बी-2021-27-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
(6) समस्त मुख्य अभियन्ता (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(11) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।